अप्रार्थी की माता व बच्चों को गाली ग्लोच करता है परन्तु फिर भी अप्रार्थी अपने पुत्र होने का धर्म निभाते हुए भरण–पोषण कर रहा है जितने भी पैसे प्रार्थी बलदेवसिंह के हाथ में आते हैं, शराब पी लेता है। मद संख्या 4 में प्रार्थी ने असत्य कथनों का वर्णन किया है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी का पिता बलदेवसिंह, माता मनजीत कौर बहिन सुरेन्द्र कौर व पत्नी–बच्चे साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं। अप्रार्थी अपने पुत्र, पति व पिता होने की समस्त जिम्मेवारियां निभा रहा है। प्रार्थी की बहन मंद बुद्वि है जिसकी देखभाल भी अप्रार्थी कर रहा है। प्रार्थी शाम को शराब पीकर परिवार वालों को गाली गलोच करता है तथा ओर शराब पीने के लिए रूपयो की मांग करता है रूपये न देने पर असत्य कथनों पर कार्यवाही करने की धमकी देता रहता है तथा धमका कर अप्रार्थी से रूपये ले जाता है अप्रार्थी समस्त परिवार के सदस्यों के कहने में नहीं है व अपने नाम की भूमि को खुर्द बुर्द करने को उतारू हैं। यदि प्रार्थी उक्त अपने नाम की भूमि का बेचान/रहन आदि करने में सफल हो गया तो अप्रार्थी अपनी बूढी मां, मंद बुद्वि बहन व अपने बच्चों, पत्नी का भरण–पोषण करने के लिए अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि प्रार्थी को किसी प्रकार की नगद राशि दे दी जाती है तो सीधे तौर पर शराब ठेके पर जायेगी तथा परिवार को आर्थिक व सामाजिक नुकसान होगा। इसके अलावा अप्रार्थी के वेतन का आधे से ज्यादा खर्चा उसके दो पुत्रों की शिक्षा पर किया जा रहा है जो कम्रशः कक्षा 11 व 12 अध्ययनरत है। इस प्रकार अपने तमाम वेतन को समस्त परिवार के पालन पोषण पर खर्च कर रहा है जिसमें प्रार्थी बलदेवसिंह भी शामिल है तथा वर्तमान में अप्रार्थी का पिता श्री बलदेवसिंह अप्रार्थी के साथ ही निवास कर रहा है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व अप्रार्थी को पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को अपनी नाम की भूमि ठेका पर देने दे या किसी से काश्त करवाने दे व अप्रार्थी अपनी नौकरी मे से 10000/– प्रति माह प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी चक 21 बीबी के 12 बीघा भूमि प्रगटसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति जटसिख निवासी 21 बीबी को 13500 प्रति बीघा के हिसाब से दी गई है तथा ठेका 162000/– रूपये एक मुश्त राशि बलदेवसिंह ने गवाहान बलतेजसिंह व बूटासिंह के समक्ष प्रगट सिंह से प्राप्त कर ली है। वर्तमान में प्रार्थी के पास उक्त भूमि पर 8 से 9 लाख रूपये बैंक का

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:13:38 IST
Reason: SelfAttested